(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति की रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Oil Production

*218. **Shri Morarka:** Will the Minister of **Steel, Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) the present annual production of oil from the existing oil wells in India;

(b) how much of it would be refined at Nunmati and Barauni; and

(c) where would the remaining oil be refined?

The Minister of Mines and Oil (Shri K. D. Malaviya): (a) About 0.5 million tonnes during 1961.

(b) About 60,000 tonnes would be refined at Nunmati. Barauni refinery is not yet ready to receive crude oil.

(c) The balance crude oil produced during 1961 was refined by the Digboi refinery and Burmah-Shell refinery at Bombay.

Resignation of a Clerk for Elections

286. **Shri Ram Krishan Gupta:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one Shri Banwari Lal, Lower Division Clerk in Establishment I(B) Branch of Finance Ministry contested election from Kani no Reserve Assembly Constituency in Punjab;

(b) if so, whether his resignation was accepted; and

(c) if so, when?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a). Yes.

(b) Yes.

(c). From the 24th January, 1962.

पंजाब के सरहाली क्षेत्र में निर्वाचन

२८७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सरहाली निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में जहां से पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों राज्य विधान सभा के लिए चुनाव में खड़े हुए थे कुछ शिकायतें निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी कोई खोज की है कि उनमें कहां तक सत्य है; और

(ग) सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित क्या उन समाचारों की ओर भी दिलाया गया है जिनमें पंजाब में निर्वाचनों की वैधता पर संदेह प्रगट किया जा रहा है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). सरहाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार की ओर से निर्वाचन आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन पदाधिकारी ने मत गणना और परिणामों की घोषणा के प्रक्रम में अनेक अनियमितताएं और अवैधताएं की हैं । साथ ही इस शिकायत में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में दुबारा मतदान कराये जाने की प्रार्थना की गई थी । निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन उपायुक्त से तुरन्त इस मामले की तत्स्थानिक जांच कराई थी । चूंकि निर्वाचन पदाधिकारी ने दोनों मुख्य अभिकथनों से स्पष्टत: इंकार कर दिया था और निर्वाचन का परिणाम पहले ही घोषित हो चुका था, अत: आयोग ने विनिश्चय किया कि विधि के अधीन न तो मतों की पुनर्गणना और न पुनर्मतदान ही हो सकता है ।

(ग) सरकार को समाचारपत्रों के ऐसे किसी समाचार की जानकारी नहीं है जिसमें कि